जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 08.09.2021

शामली पुलिस द्वारा दिनांक 03/04.09.2021 की रात्रि गांव कादरगढ़ में बंधक बनाकर की गई लूट एवं थाना कांधला क्षेत्र में पूर्व में हुई चोरी की घटनाओं का अल्प समय में किया गया सफल अनावरण, घटनाओं में लिप्त 02 महिलाओं सहित 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट की घटनाओं की नकदी, जेवर, घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार एवं वैगनार कार बरामद।

दिनांक 04.09.2021 को प्रातः करीब 07:00 बजे थानाभवन पुलिस को गांव कादरगढ़ में रात्रि करीब 01:00 बजे कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा विजेंद्र के घर में घुसकर नगदी, जेवर और मोबाइल लूट की घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक थानाभवन फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर मौजूद पीड़ित विजेंद्र से घटना के संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि रात्रि करीब 01:00 बजे 05-06 बदमाश उनके घर पर पहुंचे और परिवार के सदस्यों को कमरे में बंदकर घर में रखी नगदी करीब ₹10000/-, सोने-चांदी के जेवर एवं 02 मोबाइल ले जाने के सम्बन्ध में विजेन्द्र द्वारा थाने पर तहरीर दाखिल की। जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई उक्त लूट के घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से घटना के संबंध में जानकारी कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु थानाभवन पुलिस के अलावा एसओजी और सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। लगाई गई पुलिस टीमों के द्वारा घटनास्थल एवं उसके आस-पास से महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित कर अहम सुराग जुटाये तथा टीमों द्वारा निरन्तर अथक प्रयास कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की गई थी।

इस क्रम में आज दिनांक 08.09.2021 को घटना के 96 घण्टे के अल्प समय में पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के निर्देशन में थाना थानाभवन पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कादरगढ़ एवं थाना क्षेत्र कांधला के गांव लोहरीपुर में चोरी की घटनाओं में लिप्त 02 महिलाओं सहित 03 लुटेरों को लूट की नकदी के 5000/- रूपये, जेवर - 04 जोड़ी पाजेब, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 02 जिंदा /01 खोखा कारतूस 12 बोर एवं घटना हेतु इस्तेमाल की गई वैगनार कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तों के अन्य साथियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा छापेमारी की कार्यवाही जारी है। उक्त घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया हैं।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तों से की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि वे बावरिया एवं कलन्दर गिरोह के हैं। रूड़की जेल में बंद रहने के दौरान उनकी आपसी जान-पहचान हुई थी। जिसके बाद उन्होने जेल से छूटने पर वारदातों को करने के लिए अपना गैंग बना लिया। जिसका सरगना नीरज बावरिया हैं। गिरोह मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। इसके लिए वे लोग अपने साथ परिवार की महिलाओं को भी रखते हैं। घटनाओं को अंजाम देने के लिए वाहनों का प्रयोग भी करते हैं और जिस क्षेत्र में घटना करनी होती है उस क्षेत्र के आस-पास के रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड या के आस-पास अपना डेरा लगा लेते हैं। गैंग के पुरूष सदस्य दिन में उन क्षेत्र को जहां रात में वारदात करनी होती है, रैकी करने निकल जाते हैं। रैकी के दौरान घटना के लिए लोकल जानकारी भी एकत्रित की जाती है। आमतौर पर गांव या शहर के बाहरी हिस्से में बने मकान को टारगेट के रूप में चुनते हैं, जिससे कि रात्रि में घटना करने के उपरान्त निकल भागने में आसानी रहे। गैंग का एक सदस्य वारदात के स्थान से कुछ दूरी पर वाहन को सुरक्षित लेकर खडा हो जाता है। वारदात के लिए वाहन में परिवार की महिलाओं को रखते हैं, जिससे कि पुलिस/किसी व्यक्ति को शक न होने पाये और घटना करने के बाद निकल जाने में आसानी रहे। घटना करने के लिए गैंग के सदस्य कच्छा-बनियान पहने रहते हैं। वारदात के दौरान अवैध असलाह भी रखते हैं। आमतौर पर परिवार के लोगों को एक कमरे में बंद कर हथियार की नोंक पर मुंह बंद रखने के लिए एक सदस्य खडा रहता है और शेष साथी लोग घर को खंगालकर नकदी, कीमती जेवर और मोबाइल लेकर कच्चे रास्ते निकल

जाते हैं। उनके द्वारा ग्राम कादरगढ़ में 03/04.09.2021 को घटना कारित की गई थी। जिसके लिए बरामद तमंचा और वैगनार का प्रयोग किया गया था। साथ ही कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा कांधला के गांव लोहरीपुर में घर में सोती महिलाओं के जेवर चोरी करने की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। बरामद नकदी थानाभवन और कांधला क्षेत्र की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। इसके अलावा उनके द्वारा उत्तराखण्ड के हरिद्वार के गंगनहर, मंगलौर एवं जनपद सहारनपुर के देवबन्द में पूर्व में वारदात किये जाने की जानकारी हुई है। आस-पास के जनपदों में इनके द्वारा की गई वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1. सागर पुत्र राजू निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली।
2. शशी पत्नी नीरज निवासी नसीरपुर थाना मण्डी जनपद मु0नगर।
3. बोन्नड पत्नी शहजाद निवासी भूड़ खतौली थाना खतौली जनपद मु0नगर।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तगण:-</u>

1. मु0अ0सं0 319/21 धारा 380 थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

1- लूटी हुई नकदी के 5000/- रुपये।

2- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 2 जिन्दा कारतूस/01 खोखा कारतूस।

3- जेवर (04 जोडी पाजेब)।

4- घटना में प्रयुक्त वैगनार कार रंग सिल्वर नम्बर DL-5F/0802

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- व0उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3- उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

4- म0उ0नि0 श्रीमती आरती चन्द्रा थाना थानाभवन जनपद शामली।

5- है0का0 शहजाद अली थाना थानाभवन जनपद शामली।

6- का0 अमित तोमर थाना थानाभवन जनपद शामली।

7- का0 अमरजीत थाना थानाभवन जनपद शामली।

नोटः- गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उत्साहवर्धन हेतु 20,000/- रूपये के नकद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चेकिंग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

दिनांक 07.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद अवैध हथियार के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- सोनू पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम मन्दिरवाला झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. का0 शौकिंद्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 आलोक सिह थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>कैराना</u>

थाना कैराना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 08.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर 10 ग्राम अवैध स्मैक एवं तस्करी में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त से गहनता से जानकारी की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1-अखलाक पुत्र इरफान निवासी अलीपुर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मु0अ0सं0 406/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली।
2- मु0अ0सं0 399/20 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272,273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
3- मु0अ0सं0 76/21 धारा 60 आबकारी अधि0 व 272,273 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- अवैध स्मैक 10 ग्राम।
2- तस्करी में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर नम्बर HR-05D/7513

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1-उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
2-का0 अमित सांगवान थाना कैराना जनपद शामली।
3-का0 अभिनव थाना कैराना जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वांछित अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 08.09.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी भवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा महिला सम्बन्धी अपराध में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 07.09.2021 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ हुई छेडछाड की घटना के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा नाबालिग के साथ हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुए थाना बाबरी पुलिस को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. शुभम पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम रामपुर मनिहारन थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना बाबरी जनपद शामली।

2.का0 मनवीर थाना बाबरी जनपद शामली।

3.का0 आशीष थाना बाबरी जनपद शामली।